राजस्थान सरकार
स्वायत्त शासन विभाग

क्रमांक: प.10(न.पा.)(गठन)( )डीएलबी/20/351 दिनांक: 19/02/2021

अधिसूचना

भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 थ के खण्ड (2) एवं राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 (2009 का अधिनियम संख्या 18) की धारा 3 की उप–धारा (1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल महोदय द्वारा निम्न मानकों को दृष्टिगत रखते हुए किसी स्थानीय क्षेत्र को नगरपालिका घोषित किये जाने के संबंध में विचार किया जा सकेगा :–

(क) वृहत शहरी क्षेत्र (नगर निगम)

01.	क्षेत्र की जनसंख्या	–	05 लाख या अधिक या संभाग मुख्यालय
02.	जनसंख्या घनत्व	–	1000 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी या अधिक
03.	स्थानीय प्रशासन की दृष्टि से राजस्व प्राप्ति के स्त्रोत/ औसत प्रति व्यक्ति आय	–	500 रूपये प्रति व्यक्ति या अधिक
04.	कृषि से भिन्न क्रियाकलापों में नियोजन का प्रतिशत	–	50 प्रतिशत या अधिक
05.	आर्थिक महत्व एवं शहरी विकास की दृष्टि से अन्य महत्वपूर्ण विन्दु		

(ख) लघु शहरी क्षेत्र (नगर परिषद)

01.	क्षेत्र की जनसंख्या	–	01 लाख से अधिक किन्तु 05 लाख से कम या जिला मुख्यालय
02.	जनसंख्या घनत्व	–	500 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी या अधिक
03.	स्थानीय प्रशासन की दृष्टि से राजस्व प्राप्ति के स्त्रोत/ औसत प्रति व्यक्ति आय	–	200 रूपये प्रति व्यक्ति या अधिक
04.	कृषि से भिन्न क्रियाकलापों में नियोजन का प्रतिशत	–	25 प्रतिशत या अधिक
05.	आर्थिक महत्व एवं शहरी विकास की दृष्टि से अन्य महत्वपूर्ण विन्दु		

(ग) संक्रमणशील क्षेत्र (नगरपालिका)

01.	क्षेत्र की जनसंख्या	–	10,000 या अधिक
02.	जनसंख्या घनत्व	–	200 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी या अधिक
03.	स्थानीय प्रशासन की दृष्टि से राजस्व प्राप्ति के स्त्रोत/ औसत प्रति व्यक्ति आय	–	10 रूपये प्रति व्यक्ति या अधिक
04.	कृषि से भिन्न क्रियाकलापों में नियोजन का प्रतिशत	–	10 प्रतिशत या अधिक
05.	आर्थिक महत्व एवं शहरी विकास की दृष्टि से अन्य महत्वपूर्ण विन्दु		

राज्यपाल की आज्ञा से,

(दीपक नन्दी)
निदेशक एवं विशिष्ठ सचिव

क्रमांकः प.10(न.पा.)(गठन)( )डीएलबी/20/352-425 दिनांकः 19/02/2021

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

01. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, माननीय राज्यपाल महोदय, राजस्थान।
02. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, माननीय मुख्य मंत्री महोदय, राजस्थान सरकार।
03. विशिष्ठ सचिव, माननीय मंत्री महोदय, स्वायत्त शासन विभाग, राज. जयपुर।
04. निजी सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार।
05. निजी सचिव, महाधिवक्ता, राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर।
06. अतिरिक्त महाधिवक्ता, राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर/जयपुर (स्वायत्त शासन विभाग)।
07. निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राज. जयपुर।
08. निजी सचिव, अध्यक्ष, राज्य वित आयोग, राज. जयपुर।
09. निजी सचिव, सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, राज. जयपुर।
10. निजी सचिव, निदेशक एवं विशिष्ठ सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राज. जयपुर।
11. निजी सचिव, आयुक्त, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज. विभाग जयपुर।
12. निदेशक, जनगणना विभाग, राज. जयपुर।
13. निदेशक, स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग, राज. जयपुर।
14. संभागीय आयुक्त, समस्त राजस्थान।
15. जिला कलक्टर, समस्त राजस्थान।
16. उप निदेशक (क्षेत्रीय), स्थानीय निकाय विभाग, समस्त राजस्थान।
17. मुख्य नगर नियोजक, नगर नियोजन विभाग, राज. जयपुर।
18. निदेशक/अधीक्षक, राजकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, राज. जयपुर को आगामी असाधारण अंक राज. राजपत्र में प्रकाशनार्थ एवं 50 प्रतियां उपलब्ध कराये जाने हेतु।
19. समस्त अधिकारीगण एवं अनुभाग, निदेशालय स्वायत्त शासन विभाग, राज. जयपुर।
20. सुरक्षित पत्रावली।

(संजय माथुर)
वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी

	राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
सत्यमेव जयते	साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
	फाल्गुन 7, शुक्रवार, *शाके* 1942–फरवरी 26, 2021 *Phalguna 7, Friday, Saka 1942- February 26, 2021*	

भाग-1(ख)

महत्वपूर्ण सरकारी आज्ञायें।

स्वायत्त् शासन विभाग

अधिसूचना

जयपुर, फरवरी 19, 2021

संख्या प.10(न.पा.)(गठन)( )डीएलबी/20/351 :-भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 थ के खण्ड (2) एवं राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 (2009 का अधिनियम संख्या 18) की धारा 3 की उप-धारा (1) में प्रदत्त् शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल महोदय द्वारा निम्न मानकों को दृष्टिगत रखते हुए किसी स्थानीय क्षेत्र को नगरपालिका घोषित किये जाने के संबंध में विचार किया जा सकेगा :-

(क) वृहत शहरी क्षेत्र (नगर निगम)

01. क्षेत्र की जनसंख्या - 05 लाख या अधिक या संभाग मुख्यालय
02. जनसंख्या घनत्व - 1000 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी या अधिक
03. स्थानीय प्रशासन की दृष्टि से राजस्व प्राप्ति के स्त्रोत/ औसत प्रति व्यक्ति आय - 500 रूपये प्रति व्यक्ति या अधिक
04. कृषि से भिन्न क्रियाकलापों में नियोजन का प्रतिशत - 50 प्रतिशत या अधिक

05 आर्थिक महत्व एवं शहरी विकास की दृष्टि से अन्य महत्वपूर्ण बिन्दु

(ख) लघु शहरी क्षेत्र (नगर परिषद)

01. क्षेत्र की जनसंख्या - 01 लाख से अधिक किन्तु 05 लाख से कम या जिला मुख्यालय
02. जनसंख्या घनत्व - 500 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी या अधिक
03. स्थानीय प्रशासन की दृष्टि से राजस्व प्राप्ति के स्त्रोत/ औसत प्रति व्यक्ति आय - 200 रूपये प्रति व्यक्ति या अधिक
04. कृषि से भिन्न क्रियाकलापों में नियोजन का प्रतिशत - 25 प्रतिशत या अधिक

05 आर्थिक महत्व एवं शहरी विकास की दृष्टि से अन्य महत्वपूर्ण बिन्दु